

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर 2022

विषय:- पूर्व प्रख्यापित उ0प्र0 स्टार्ट अप नीति-2020 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

रोजगार सृजन तथा श्रेष्ठ क्षेत्रों में उदीयमान प्रौद्योगिकियों को प्रारम्भ करने के लिए धरातल के स्तर पर नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था और युवाओं के सशक्तिकरण में योगदान के उद्देश्य से "उ0प्र0 स्टार्ट अप नीति-2020" प्रख्यापित की गई थी।

2- उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त "उ0प्र0 स्टार्ट अप नीति-2020" के विभिन्न प्रस्तरों में वर्तमान प्राविधान को निम्नवत् संशोधित किये जाने के साथ-साथ अतिरिक्त प्राविधान तथा उक्त नीति के अनुलग्नक-1: परिभाषायें के अन्तर्गत, कतिपय अतिरिक्त नवीन परिभाषायें सम्मिलित किये जाने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

3- उक्त नीति के अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करणों के प्रारूप को एकरूप करते हुए "उ0प्र0 स्टार्ट अप नीति-2020" के विभिन्न प्रस्तरों को निम्नवत् संशोधित समझा जाये:-

नीति का प्रस्तर	नीति के अन्तर्गत मूल व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
4. लक्ष्य	5.3 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों (Center of Excellence) की स्थापना करना	5.8 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों (Center of Excellence) की स्थापना करना

5. नीति की अवधि तथा अनुमन्यता	30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020, इसकी अधिसूचना की तिथि से पाँच (5) वर्षों के लिए वैध है। यह नीति पिछली स्टार्टअप नीतियों अर्थात् '30प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016' तथा '30प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017-2022' के स्टार्टअप भाग से सम्बन्धित धाराओं को अवक्रमित करती है। हालाँकि इस नई नीति की अधिसूचना से पूर्व नोडल एजेन्सी द्वारा पूर्व-अनुमोदित मामले, सम्बन्धित पूर्ववर्ती स्टार्टअप नीतियों के प्राविधानों से नियंत्रित होंगे। 30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 किसी उद्योग विशेष के लिए नहीं, अपितु समस्त उद्योग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए प्रभावी होगी।	30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020, इसकी अधिसूचना की तिथि से पाँच (5) वर्षों के लिए वैध है। यह नीति पिछली स्टार्टअप नीतियों अर्थात् '30प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2016' तथा '30प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017-2022' के स्टार्टअप भाग से सम्बन्धित धाराओं को अवक्रमित करती है। 30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत प्राविधानित सभी वित्तीय प्रोत्साहन उपरोक्त पूर्व नीतियों के अन्तर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स पर इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे। पूर्व नीतियों के अन्तर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स, पूर्व नीतियों में इन्क्यूबेटर द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहनों के समस्त समायोजन के पश्चात 30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के पात्र होंगे। 30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 किसी उद्योग विशेष के लिए नहीं, अपितु समस्त उद्योग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए प्रभावी होगी।
8.8 ज्ञान केन्द्रों के रूप में उत्कृष्टता (सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के केन्द्र	ii) उत्कृष्टता के केन्द्रों (सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है जहाँ आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (AI), ब्लॉकचेन, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), इण्डस्ट्रियल AI, रोबोटिक्स तथा बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लीन टेक (Clean-Tech), डिफेन्स, ऐज्यू-	ii) उत्कृष्टता के केन्द्रों (सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है जहाँ क्वान्टम कम्प्यूटिंग, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स एवं मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ए.आर./वी.आर., ड्रोन्स, रोबोटिक्स, 5जी, अन्तरिक्ष

टेक (Edu-Tech), एग्री-टेक Agri-Tech), हेल्थ-टेक (Health-Tech) तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व वाले अन्य क्षेत्रों में भारत और विदेश से 100 सर्वाधिक सम्भावनायुक्त उत्पादों पर आधारित स्टार्ट-अप्स होंगे।

उत्कृष्टता के केन्द्र 100 चयनित स्टार्ट-अप्स को बुनियादी ढाँचे (इन्क्यूबेशन सेन्टर, सह-कार्यस्थान, उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला, एडवान्स कम्प्यूटर्स इत्यादि) तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों तथा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों को सम्बद्ध करके मेन्टरशिप के रूप में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

इस प्रकार का प्रथम उत्कृष्टता का केन्द्र, मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स (स्वास्थ्य- प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में सँजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया, भारत सरकार के सहयोग से पहले ही विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में एक अन्य उत्कृष्टता का केन्द्र, उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में ग्रेटर नॉयडा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जोकि तकनीकी कम्पनियों का एक हब/केन्द्र है। उत्कृष्टता के केन्द्रों को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों हेतु आवश्यक जानकारी सहित उपयुक्त ईकोसिस्टम के निर्माण में सहायता

प्रौद्योगिकी, डिफेन्स प्रौद्योगिकी, एग्री-टेक, ऐजू-टेक, हेल्थ-टेक तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व वाले अन्य क्षेत्रों में भारत और विदेश से 100 सर्वाधिक सम्भावनायुक्त उत्पादों पर आधारित स्टार्ट-अप्स होंगे।

उत्कृष्टता के केन्द्र 100 चयनित स्टार्ट-अप्स को बुनियादी ढाँचे (इन्क्यूबेशन सेन्टर, सह-कार्यस्थान, उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला, एडवान्स कम्प्यूटर्स इत्यादि) तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों तथा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों को सम्बद्ध करके मेन्टरशिप के रूप में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

	के लिए निजी क्षेत्र तथा आईआईटी तथा आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों को अनुबन्धित किया जायेगा।	
8.10 ब्राण्ड प्रमोशन तथा प्रतिभा का सम्मान	vi) बूट कैम्पस: विद्यालय/ विश्वविद्यालय परिसर में ही नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में बूट कैम्पस आयोजित किये जायेंगे।	vi) बूटकैम्पस:स्कूल/विद्यालय/ विश्वविद्यालय परिसर में ही नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु स्कूलों/ विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में बूट कैम्पस आयोजित किये जायेंगे।
9.1 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन	iii) एकसीलेरेशन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए एकसीलेरेशन कार्यक्रमों के संचालन हेतु सक्षम संस्थानों (प्रतिवर्ष अधिकतम 25 संस्थान) को प्रति वर्ष रु0 5 लाख (प्रति कार्यक्रम अधिकतम रु0 2 लाख) तक का मैचिंग अनुदान दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत कम से कम 10 स्टार्टअप द्वारा प्रतिभाग वाले एकसीलेरेशन कार्यक्रम सहायता पाने के पात्र होंगे तथा नीति के अन्तर्गत प्रति वर्ष अधिकतम 100 कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा सहायतित इन्क्यूबेटर्स, सेबी/बैंकों द्वारा पंजीकृत एन्जेल निवेशक अथवा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान इस प्रयोजन हेतु सक्षम संस्थान होंगे। पीआईयू की संस्तुति पर पीएमआईसी द्वारा, लाभान्वित संस्थानों की कुल संख्या की सीमा में शिथिलता दी जा सकती है।	iii) एकसीलेरेशन कार्यक्रम स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए सक्षम संस्थानों को न्यूनतम 12 सप्ताह के एकसीलेरेशन कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रति स्टार्टअप रु0 1 लाख तक, प्रति कार्यक्रम अधिकतम रु0 10 लाख, प्रति संस्थान 5 कार्यक्रम प्रति वर्ष तक का मैचिंग अनुदान दिया जायेगा। नीति के अन्तर्गत एक वर्ष में अधिकतम 100 कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। भारत सरकार/ उ0प्र0 सरकार द्वारा सहायतित/ मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स, सेबी/ बैंकों द्वारा पंजीकृत एन्जेल निवेशक अथवा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान इस प्रयोजन हेतु सक्षम संस्थान होंगे। वेन्चर कैपिटल फर्म्स, निजी एकसीलेरेटर्स तथा अन्य संस्थान जिन्हें एकसीलेरेशन कार्यक्रम के संचालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है, उत्तर प्रदेश शासन की स्टार्टअप नोडल संस्था से सूचीबद्ध होने के अधीन इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु पात्र होंगे। पीआईयू की संस्तुति पर पीएमआईसी द्वारा, लाभान्वित

		संस्थानों की कुल संख्या की सीमा में शिथिलता दी जा सकती है।
9.3 स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन	(i) भरण-पोषण भत्ता परिकल्पना स्तर पर प्रति इन्क्यूबेटर 10 स्टार्टअप्स तक, प्रति स्टार्टअप एक वर्ष तक रु0 15,000/- प्रतिमाह का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं स्टार्टअप संस्थापकों को दिया जायेगा जो आर्थिक रूप से जरूरतमंद हैं। जरूरतमंद स्टार्टअप की पहचान करने के लिए मापदण्ड को पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। (ii) सीड कैपिटल/विपणन सहायता: बाजार में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद आरम्भ करने के लिए प्रति स्टार्टअप रु0 5 लाख तक प्रति इन्क्यूबेटर 10 स्टार्टअप तक की सीड कैपिटल सहायता प्रति वर्ष विपणन सहायता के रूप में दी जायेगी। सीड कैपिटल का संवितरण माइलस्टोन के आधार पर (यथा 40प्रतिशत+30प्रतिशत+30प्रतिशत) तीन बार में किया जायेगा, जिसमें पहला अग्रिम के रूप में तथा शेष दो का संवितरण माइलस्टोन पूर्ण होने पर किया जायेगा। प्रथम किश्त संवितरण के समय स्टार्टअप्स द्वारा पीआईयू को अपने कार्य-प्रदर्शन लक्ष्य की वचनबद्धता सूचित करना होगा, जिसके आधार पर अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किश्तें अवमुक्त किए जाने से पूर्व मूल्यांकन किया जायेगा।	(i) भरण-पोषण भत्ता परिकल्पना स्तर पर प्रति इन्क्यूबेटर 25 स्टार्टअप्स तक, प्रति स्टार्टअप एक वर्ष तक रु0 17,500/- प्रतिमाह का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा। (ii) सीड कैपिटल/विपणन सहायता: बाजार में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद आरम्भ करने के लिए प्रति स्टार्टअप रु0 7.5 लाख तक प्रति इन्क्यूबेटर 25 स्टार्टअप तक की सीड कैपिटल सहायता प्रति वर्ष विपणन सहायता के रूप में दी जायेगी। सीड कैपिटल का संवितरण माइलस्टोन के आधार पर (यथा 40प्रतिशत+ 30प्रतिशत+ 30प्रतिशत) तीन बार में किया जायेगा, जिसमें पहला अग्रिम के रूप में तथा शेष दो का संवितरण माइलस्टोन पूर्ण होने पर किया जायेगा। प्रथम किश्त संवितरण के समय स्टार्टअप्स द्वारा पीआईयू को अपने कार्य-प्रदर्शन लक्ष्य की वचनबद्धता सूचित करना होगा, जिसके आधार पर अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किश्तें अवमुक्त किए जाने से पूर्व मूल्यांकन किया जायेगा।

	अभ्युक्ति: महिलाओं/दिव्यांगजन/ट्रांसजेन्डर्स द्वारा स्थापित/ सह-स्थापित स्टार्टअप्स अथवा 50 प्रतिशत अथवा अधिक महिला/ दिव्यांगजन कर्मियों वाले स्टार्टअप्स अथवा पूर्वान्चल/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/परिचालन वाले स्टार्टअप्स अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 50 प्रतिशत भरण-पोषण तथा विपणन सहायता, दोनों प्रदान की जायेगी।	अभ्युक्ति: महिलाओं/दिव्यांगजन/ट्रांसजेन्डर्स द्वारा 26 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता के साथ स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स अथवा पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/परिचालन वाले स्टार्टअप्स अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 50 प्रतिशत भरण-पोषण तथा विपणन सहायता, दोनों प्रदान की जायेगी। यह 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान ग्रामीण प्रभाव, सर्कुलर इकोनॉमी, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स पर भी लागू होगा। कोई स्टार्टअप उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत आच्छादित है अथवा नहीं, के बारे में निर्णय नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
--	---	---

4- "उ0प्र0 स्टार्ट अप नीति-2020" में उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त, निम्नवत् अतिरिक्त प्राविधान तथा नीति के अनुलग्नक-1: परिभाषायें के अन्तर्गत निम्नलिखित नवीन परिभाषाओं को भी नीति के अन्तर्गत सम्मिलित समझा जाये:-

प्रस्तर-9.3 स्टार्टअप्स हेतु प्रोत्साहन के अन्तर्गत नवीन प्राविधान	प्रोटोटाइप अनुदान डीपीआईआईटी तथा स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रति स्टार्टअप रु0 5 लाख तक का एकमुश्त प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जायेगा। स्टार्टअप को यह सहायता एकल किश्त में प्रदान की जायेगी। अभ्युक्ति: 50प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की धारा इस अनुदान हेतु लागू नहीं होगी।
---	---

अनुलग्नक-1:

परिभाषायें के अन्तर्गत,
नवीन परिभाषायें

8. महिला नेतृत्वयुक्त स्टार्टअप:

डीपीआईआईटी तथा उत्तर प्रदेश शासन के स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत एवं निम्नलिखित मानकों को पूरा करने वाला कोई स्टार्टअप, महिला नेतृत्वयुक्त स्टार्टअप है:-

- स्टार्टअप का स्वामित्व किसी महिला अथवा महिलाओं के समूह के पास हो, जिसकी व्यक्तिगत महिला संस्थापक के रूप में स्टार्टअप में पूंजी का न्यूनतम 26 प्रतिशत वित्तीय हित निहित हो।
- उन महिला स्टार्टअप्स के मामले में, जिनके द्वारा इक्विटी फण्डिंग प्राप्त की गई है, नीति के अन्तर्गत किसी भी प्रोत्साहन की पात्रता के लिए 26 प्रतिशत अंशधारिता की न्यूनतम सीमा को बनाए रखा जाना चाहिए।

9. ग्रामीण प्रभाव स्टार्टअप:

ऐसे स्टार्टअप्स जो ग्रामीण समस्याओं के निवारण/ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने/ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से समाधान प्रदान करते हैं।

10. सर्कुलर इकोनॉमी:

उत्पाद जीवन-चक्र लूप को बन्द करने और नये उत्पादों के विकास में सामग्री के उपयोग को कम करने वाले समाधान प्रदान करने वाले स्टार्टअप को सर्कुलर अर्थव्यवस्था का अंग माना जाता है।

11. वहनीयता:

आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए, भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने पर काम कर रहे स्टार्टअप्स।

12. नवीकरणीय ऊर्जा: ऐसे उत्पादों पर काम कर रहे स्टार्टअप जो नैसर्गिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जिनकी खपत की तुलना में उच्च दर पर भरपाई की जाती है, जिसका अर्थ है कार्बन फुटप्रिंट पॉजिटिव, सॉलिड वेस्ट पॉजिटिव, रिसाइकिल पॉजिटिव तथा जल रिसाइकिल पॉजिटिव।

13. जलवायु परिवर्तन:

ऐसे स्टार्टअप जो ऐसे समाधान की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान

	करते हैं जोकि धरती को ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन अथवा भोजन, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी जलवायु चुनौतियों से निपटने में सहायक हैं। 14. विचार: यह स्टार्टअप का वह चरण है जहाँ उद्यमी अथवा व्यक्तियों/छात्रों के समूह के पास एक विचार होता है और वे उस विचार को "प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट" के रूप में बदलने पर कार्यरत होते हैं। 15. प्रोटोटाइप: एक प्रोटोटाइप किसी विचार का वह मूर्त दृश्य है जिसे न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) बनाने के लिए विकसित किया जाता है और व्यावसायीकरण के लिए तैयार किया जाता है। 16. व्यावसायीकरण: व्यावसायीकरण वह चरण है जहाँ न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) को बाजार में लाया जाता है और राजस्व सृजन के लिए परिलक्षित उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
--	---

भवदीय,

 (अरविन्द कुमार)
 अपर मुख्य सचिव

संख्या-33/2022/1827(1)/78-1-2022 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

- 10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ०प्र० शासन।
- 12- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
- 13- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 14- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 15- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 16- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन।
- 17- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 18- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 19- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
- 20- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अक्षय त्रिपाठी)
विशेष सचिव